परिपत्र / सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्र सं0-स्था-1-चरित्र पंजिका //14-15// 428 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 12 मई-2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर /
डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं0- 471 दिनांक-14-05-2015 व 2462 दि0-22-9-2015 एवं 3205 दिनांक 9-11-15 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा **वर्ष 2014-15** की आपके जोन से सम्बन्धित सभी अधिकारियो की वार्षिक प्रविष्टियों को शासनादेश में निहित प्राविधानो के अनुसार पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। साथ ही इस कार्यालय के परिपत्र सं0-1995 दिनांक-19-08-2014,पत्र संख्या- 2559 दिनांक-16-09-2014, पत्र संख्या-350 दिनांक-06-05-2015, पत्र संख्या-590 दिनांक-25-05-2015 व पत्र संख्या-1929 दिनांक-18-08-2015 एवं 3205 दिनांक 9-11-15 द्वारा **वर्ष 2013-14** से सम्बन्धित आपके जोन के समस्त अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर परिपत्रों में उल्लिखित निर्धारित समय सारणी के अनुसार मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु अभी तक **वर्ष -2013-14 व वर्ष 2014-15** से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियाँ मुख्यालय पर प्राप्त नही हुई जबकि वार्षिक प्रविष्टियों को पूर्ण कराने हेतु उक्त पत्रों / परिपत्रो व विभागीय मासिक समीक्षा बैठको में भी समय -2 पर आपको निर्देशित भी किया जाता रहा है।

आप भलीभॉति अवगत है कि वार्षिक प्रविष्टियों को निहित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के शासन से स्पष्ट निर्देश है और कार्मिको के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में वार्षिक प्रविष्टियों की अहम भूमिका होती है। विभागीय चयन समिति की बैठके प्रत्यके वर्ष नियमानुसार होती है। अत : वार्षिक प्रविष्टियों को अद्यायावधिक कराया जाना आवश्यक ही नही विधिक बाध्यता भी है।

उक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा भी अपने पत्र सं0-सं0वि0क0नि0-1-1613/11-2015-150/2015 दिनांक-15-10-2015 व पत्र सं0-सं0वि0क0नि0-1-1996/11-2015-150/2015 दिनांक-28-10-2015 द्वारा वर्ष 2014-15 की प्रविष्टियों को शासनादेश सं0 36 /1/1976 -का -2 दिनांक-30-04-1991 के समयसारणी अनुसार पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अत : उक्त सम्बन्ध में अधिकारियों के गोपनीय मन्तव्य देने वाले अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये है तो आप अपने स्वयं के सज्ञान एव अभिलेखो के आधार पर अपने स्तर से प्रविष्टि अकित करने की कार्यवाही समयावधि के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

अत : उक्त सम्बन्ध में अनुरोध है कि आप के जोन में कार्यरत रहे समस्त अधिकारियों की **वर्ष 2013-14 व 2014-15** की वार्षिक प्रविष्टियाँ अथवा इसके पूर्व की वार्षिक प्रविष्टियाँ युद्ध स्तर पर अभियान सचालित करके शासनादेश दिनांक 30-4-91 तथा उपर्युक्त उल्लिखित निर्देशो के अनुरुप पूर्ण कराकर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करे तथा यह प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने का कष्ट करे कि आपके अधीनस्थ कार्यरत रहे अधिकारियों की **वर्ष 2014-15** अथवा इससे पूर्व की कोई वार्षिक प्रविष्टि प्रदान करने हेतु शेष नही है।इस प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठाकन पत्र सं0 व दिनांक-उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-समस्त मा0सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण)वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3-ज्वाइन्ट कमिश्नर (सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट /) वाणिज्य कर, गाजियाबाद / इलाहाबाद / लखनऊ।
4-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5-ज्वाइन्ट कमिश्नर (IT) वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

(सुनील कुमार राय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

JC (IT)
440
12/05/16